न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस

मुकदमा नंबर — 244 / 2021

प्रार्थीगण —

1 प्रवीण कुमार पुत्र बाबूलाल जाट निवासी समदड़ी रोड बालोतरा
2 रावताराम पुत्र चैनाराम जाट साकिन कुकणों की ढाणी पुनियों का तला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर ।

बनाम

विप्रार्थी —

1. सरोज कंवर पत्नी भानुप्रतापसिंह जाति राजपूत निवासीयान जानियाना तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर । हाल सरोजसिंह **U&Me Restaurant 120-A, Nejru Bazar, Ajmeri Gate jaipur**
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित 1. श्री प्रार्थीगण जुजाराम पटेल

आदेश दिनांक :–31.12.2021

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि खसरा संख्या 199 रकबा 9–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल खसरा नंबर 198 रकबा 7–06 बीघा किस्म बारानी अव्वल मौजा जानियाना में स्थिति है। प्रार्थीगण के खेत नजदीकी निकटतम रास्ता चाहा गया जिसमें आवागमन के लिये विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 214 रकबा 28–01 बीघा मौजा जानियाना में से 20 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं उप तहसीलदार जसोल से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी उप तहसीलदार जसोल के दिनांक 13.11.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । उप तहसीलदार जसोल के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा जानियाना के खेत खसरा न0 199 रकबा 9–11 बीघा जो प्रार्थीगण के नाम खातेदारी भूमि है जिसमे आवागमन हेतु [illegible] रकबा 28–01 बीघा में से चाही जाने पर उक्त खसरे में से प्रस्तावित [illegible] निकट एवं उपयुक्त है मौके पर उपयुक्त [illegible] प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी0एल0सी दर 35100/– रूपये प्रति बीघा है। मौके पर 20 फीट के रास्ते हेतु कुल रकबा 0–06 बीघा भूमि बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:30:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण एवं राजकीय पैरोकार को सुना गया, प्रार्थीगण ने उप तहसीलदार जसोल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.11.2021 के अनुसार रास्ता आवागमन के लिए प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने के लिए निवेदन किया गया तथा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

पेरोकार सरकार ने भी तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता प्रार्थीगण से नियमानुसार डीएलसी रेट की देय दुगनी राशि जमा कराने पर दिया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। हमनें पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार एवं उप तहसीलदार जसोल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.11.2021 के अनुसार मौजा जानियाना के खेत खसरा न0 – 199 रकबा 9–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल खसरा नंबर 198 रकबा 7–06 बीघा मे आने जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 214 रकबा 28–01 बीघा सरहद जानियाना में से 20 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित नक्शा में अंकित बरंग केसरिया के अनुसार अवलोकन किया गया। इसके अलावा प्रार्थीगण के आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प में रास्ता उपलब्ध नहीं है। चुंकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर खेत खसरा जानियाना के खेत खसरा न0 – खसरा न0 199 रकबा 9–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल खसरा नंबर 198 रकबा 7–06 बीघा किस्म सेवज मे आने जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 214 रकबा 28–01 बीघा मौजा जानियाना में से 20 फीट चौडा रास्ता संलग्न उप तहसीलदार जसोल से प्राप्त फर्द मौका दिनांक 13.11.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित बरंग केसरीया के अनुसार कुल रकबा 0–06 बीघा भूमि रास्ता स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 35100/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की राशि 10530 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रूपये 21060/– रूपये विप्रार्थीगण खातेदारान को हिस्सा अनुसार अदा रोकड करे, विप्रार्थीगण नहीं प्रापत करने की स्थिति में राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर ही उप तहसीलदार जसोल नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 13.11.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 31.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:50:05 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा